न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—220/2017/223 (2017/00220)

1. श्री महावीर चंद मकाणा दत्तक पुत्र विनोदीलाल, जाति ओसवाल, निवासी मरूधर ऑयल मिल्स, पाली बाजार, ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती प्रभा देवी पत्नी स्व0 मिठालाल, जाति ओसवाल महाजन, निवासी जालिया प्रथम हाल निवासी सिल्वर लेक, भागड़ी रोड़, प्रथम क्रोस, बेंगलोर— **(मृतक)— नाम तर्क**
2. श्री प्रदीप जैन पुत्र स्व0 मिठालाल, जाति ओसवाल महाजन, निवासी जालिया प्रथम हाल निवासी सिल्वर लेक, भागड़ी रोड़, प्रथम क्रोस, बेंगलोर ।
3. ललीत जैन पुत्र स्व0 मिठालाल, जाति ओसवाल महाजन, नि0 जालिया प्रथम हाल निवासी सिल्वर लेक, भागड़ी रोड़, प्रथम क्रोस, बैंगलोर ।
4. सुभाष जैन पुत्र स्व0 मिठालाल, जाति ओसवाल महाजन, नि0 जालिया प्रथम हाल निवासी सिल्वर लेक भागड़ी रोड़, प्रथम क्रोस, बैंगलोर ।
5. श्रीमती अरूणा पुत्री स्व0 मिठालाल पत्नि सुरेश गदिया, जाति ओसवाल महाजन, निवासी विल्सन गार्डन, बैंगलोर ।
6. श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 मिठालाल, पत्नि महेन्द्र पोखरणा, जाति ओसवाल महाजन, निवासी सथाना बाजार, विजयनगर जिला अजमेर ।
7. श्रीमती शर्मिला पुत्री स्व0 मिठालाल पत्नी धीरज कुमार बरड़ीया, जाति ओसवाल महाजन, निवासी चैन्नई (मद्रास)

रेस्पोडेंटस/वादीगण

8. सब रजिस्ट्रार, ब्यावर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर ।

रेस्पो0/प्रतिवादी

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 5.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 76/2016.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 7.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8 से 10.

निर्णय

दिनांकः— 28.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 153 राज0काश्त0 अधि0 1955 के तहत प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध अधी0न्याया0 में पेश कर निवेदन किया कि मौजा जालिया प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित साबिक खसरा नंबर 737 रकबा 2 बीधा 11 बिस्वा व हाल खसरा नंबर 772 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म ता0–1 स्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के 1350 फसली की खेवट में खाता संख्या 78 जिसके खुदकाश्त मालिक स्व0 हरकचंद पुत्र जीवराज जाति महाजन साकिन जालिया प्रथम तो जो रिकार्डेड खुदकाश्त थे जो वादी संख्या 1 के पड़दादेर ससुर एवं वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पड़दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा थे । उपरोक्त वादग्रस्त भूमि स्व0 हरकचंद के जीवनकाल में उनकी खुदकाश्त व कब्जे में चल आती रही और उनके मरने के बाद उनके उक्त दोनों पुत्रों मिश्रीलाल व विनोदीलाल उनके स्थान पर खुदकाश्त एवं काबिज चले आते रहे किन्तु स्व0 मिश्रीलाल ब्यावर मिल में काम करते थे और दुकान का काम भी संभालते थे । इस प्रकार मिश्रीलाल के कम शिक्षित होने व मिल मजदूर होने का बैजा फायदा उठाकर विनोदीलाल ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके स्व0 हरकचंद के स्थान पर उनके बड़े पुत्र मिश्रीलाल के होने के तथ्य छिपाकर अपने अकेले हरकचंद का वारिस बताकर अपने अकेले के नाम जमाबंदी में गलत इंद्राज करा लिया। इस तथ्य की जानकारी स्व0 मिश्रीलाल को नहीं हो सकी और उक्त भूमि स्व0 हरकचंद के मरने के बाद स्व0 विनोदीलाल के अकेले के नाम गलत रूप से चली आ रही है तथा विनोदीलाल के मरने के बाद स्व0 श्रीमती सोनी के नाम अकेले के गलत दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त भूमि में स्व0 हरकचद के बाद उनके पुत्र मिश्रीलाल व मिश्रीलाल के मरने के बाद उनके पुत्र मिठालाल का उक्त भूमि में 1/2 हिस्से पर खातेदारी व मालिकाना व कब्जा चला आता रहा है और मिठालाल कर्नाटक भद्रावती में भी काम करते थे और वहां से आकर वादग्रस्त भूमि भी काश्त करते थे । मिठालाल के मरने के बाद उनके 1/2 हिस्से के वादीगण बतौर उनके उत्तराधिकारी के खातेदार व काबिज चले आ रहे है । इस भूमि में विनोदीलाल व सोनीदेवी के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 महावीरचंद दत्तक पुत्र होने के कारण से कब्जे काश्त में जमीन चली आ रही है जिसका आज दिवस तक विभाजन नही हुआ है । इस प्रकार से उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक अविभाजित संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त गलत इंद्राजों के कारण से वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने के लिये आमादा हुए तब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड देखा तब उन्हें उनके उपरोक्त प्रकार से गलत व गैर कानूनी रूप से नाम हटाने की दिनांक 11.3.2013 व 12.3.2013 को नकले लेने पर प्रथम बार जानकारी हुई । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम करने तथा बंटवारा करने के लिए कहा तो इंकार हो गया । इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण को उक्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम गलत दर्ज चले आ रहे है, को निरस्त किया जावे तथा उक्त हिस्सो के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विभाजन की डिक्री पारित की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्टस एण्ड बाउण्डस के विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिवन साक्ष्य नहीं है और न ही केवल अभिवचनों के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष न तो प्रकरण में विवाद बिन्दु ही विरचित किये गये न ही पक्षकारों की साक्ष्य ली गई तथा न ही दस्तावेजों को प्रमाणित कराया गया । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा वाद को डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि राज0काश्त0अधि0 लागू होने के पूर्व ही दिनांक 1.8.1944 को हुए पारिवारिक विभाजन के आधार पर पवर्ष 1952–53 (1358–59) फसली में उक्त भूमि स्व0 विनोदीलाल की खातेदारी में दर्ज की जा चुकी थी जिसे इस वाद से पूर्व कभी भी चुनौती नहीं दी गई । राज0काश्त0अधि0 लागू होने से पूर्व ही स्व0 विनोदीलाल जिस भूमि के खातेदार काश्तकार रहे है उसको संयुक्त मानकर विभाजन किये जाने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को पूर्णतया नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादी/रेस्पो0 का वाद अवधि बाधित था तथा उनका व उनके पूर्वज मिश्रीलाल का कब्जा करीब 60 वर्ष से कभी भी विवादित भूमि पर नहीं रहा है ऐसी स्थिति में 60 वर्ष बाद बिना किसी आधार के तथा बिना साक्ष्य को परिक्षित किये मनमाने ढंग से निर्णय व डिक्री पारित कर अधी0न्याया0 ने उनके निहित क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में दिनांक 1.8.1944 के पारिवारिक विभाजन को नहीं मानकर भूल की है तथा बिना किसी आधार के संवत् 2015 से 2018 में विनोदीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन को गलत होना माना है जबकि 1358–59 फसली में ही तकसीम के आधार पर विनोदीलाल का नाम दर्ज हो चुका था । अधी0न्याया0 ने अपने निष्कर्षो में साक्ष्य भार प्रतिवादी पर डालते हुए दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रमाणित नही की गई को वादी के पक्ष में मानने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में मजमे आम में रूबरू मोतविरान से पूछताछ एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण का वाद डिक्री करने का उल्लेख किया है परन्तु अपने निर्णय में किन मोतविरान से पूछताछ की गई इसका कोई उल्लेख नहीं किया तथा राजस्व रिकार्ड जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम संवत् 2008 में दर्ज हो गया था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद पूर्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया जो राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी के पक्ष में रहे है उन्हें नहीं मानने के कोई कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत अभियान को समझने भूल की है । लोक अदालत अभियान का आशय यह नहीं है कि विधि की प्रक्रिया को नहीं मानकर मनमाने ढंग से कोई भी निर्णय पारित कर दे जबकि लोक अदालत व न्याय आपके द्वार का वास्तविक आशय पक्षकारान के मध्य विवाद को समझकर आपसी सहमति से विधिनुसार निस्तारण करने से है । केवल मात्र आंकड़ों की पूर्ति का उद्देश्य न्याय आपके द्वार का उद्देश्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 निरस्त किया जावे तथा विधिनिसार विवाद बिन्दु विरचित करते हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेकर न्यायिक निर्णय किये जाने के लिये प्रकरण अधी0न्याया0

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2018–19 पेज 394 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । ग्राम जालिया प्रथम तहसील ब्यावर के साबिक खसरा नंबर 737 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा हाल खसरा नंबर 772 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि फसली 1350 की खेवट में खताा संख्या 78 के खुदकाश्त मालिक स्व0 हरकचंद पुत्र जीवराज जाति महाजन थे जो रिकार्डेड खुदकाश्त थे जो वादी संख्या 1 पड़दादेर ससुर एवं वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पड़दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा थे । वादग्रस्त भूमि स्व0 हरकचंद के जीवनकाल में उनकी खुदकाश्त व कब्जे काश्त में चली आती रही ओर उनके मरने के बाद उनके उक्त दोनों पुत्र मिश्रीलाल व विनोदीलाल उनके स्थान पर खुदकाश्त एवं काबिज चले आते रहे किन्तु स्व0 मिश्रीलाल ब्यावर मिल में काम करते थे और दुकान का काम संभालते थे और गांव में खेती का काम करते थे जबकि विनोदीलाल पढ़े लिखे थे । इस प्रकार मिश्रीलाल के कम शिक्षित होने व मिल मजदूर होने का बैजा फायदा उठाकर विनोदीलाल ने तत्कालिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियो से मिलीभगत कर स्व0 हरकचंद के स्थान पर उनके बड़े पुत्र मिश्रीलाल के होने के तथ्य को छिपाकर अपने अकेले को हरकचंद का वारिस बताकर अपने अकेले के नाम जमाबंदी में गलत इंद्राज करा लिया। विनोदीलाल की मृत्य के बाद स्व0 श्रीमती सोनी के नाम अकेले गलत दर्ज चली आ रही है। जबकि उक्त भूमि में स्व0 हरकचंद के बाद उनके पुत्र मिश्रीलाल व मिश्रीलाल के मरने के बाद उनके पुत्र मिठालाल का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वर खातेदारी व मालिकाना कब्जा चला आ रहा था । मिठालाल की मृत्यु उपरांत उनके 1/2 हिस्से के वादीगण बतौर उनके उत्तराधिकारी के रूप में खातेदार व काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार विवादित आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें स्व0 हरकचंद के दोनों पुत्रों मिश्रीलाल व विनोदीलाल का बराबर–बराबर हक व अधिकार है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट ने पारिवारिक विभाजन की याददास्त दिनांक 1.8.1944 पेश की है किन्तु उक्त याददास्त में विवादित भूमि के विषय में कोई पारिवारिक विभाजन होने का कोई खसरा नंबर अथवा रकबा अंकित नहीं है । उक्त पारिवारिक लिखतम में भी स्व0 हरकचंद के दो पुत्र मिश्रीलाल व विनोदीलाल होना अंकित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी का वाद स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 ने ग्राम मौजा जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर स्थित साबिक खसरा नंबर 737 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व हाल खसरा नंबर 772 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खेवट में खाता संख्या 78 के खुदकाश्त मालिक स्व0 हरकचंद पुत्र जीवराज जाति महाजन साकिन जालिया प्रथम को रिकार्डेड खुदकाश्त होने का कथन कर स्व0 हरकचंद को वादी संख्या 1 का पड़दादेर ससुर एवं वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पड़दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा होने का कथन कर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का कथन किया । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 737 के हाल खसरा नंबर 772 बने

है । जमाबंदी 1350 फसली की खेवट में खाता नंबर 778 में हरकचंद पुत्र जीवराज जाति महाजन साकिन देह का नाम दर्ज है तथा इसी प्रकार फसली 1350 खतौनी जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 737 में हरकचंद पुत्र जीवराज कौम महाजन साकिन देह खुदकाश्त दर्ज है । जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में साबिक खसरा नंबर 737 विनोदीलाल के नाम दर्ज हुआ एवं खेवट सन् 1362 से 2018 में विनोदीलाल का नाम दर्ज है । वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में हाल खसरा नंबर 772 में सोनी बेवा विनोदीलाल के नाम दर्ज है । तत्पश्चात् जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में हाल खसरा नंबर 772 जरिये नामांतकरण संख्या 908 दिनांक 20.6.2015 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है । उक्त राजस्व रिकार्ड से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजियात पक्षकारान के पूर्व स्व0 हरकचंद पुत्र जीवराज की खुदकाश्त आराजी थी किन्तु संवत् 2015 से 2018 में विनोदीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है जो गलत अंकन है । प्रतिवादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजी को स्वअर्जित होकर स्वंय की खातेदारी की होना साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है, जबकि स्व0 हरकचंद के दोनों पुत्र मिश्रीलाल व विनोदीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था । जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखतम पारिवारिक विभाजन का प्रश्न है । उक्त लिखतम में यद्वपि कोई भी खसरा नंबर अथवा रकबा अंकित नहीं है किन्तु उक्त पारिवारिक लिखतम में भी स्व0 हरकचंद के दो पुत्र मिश्रीलाल व विनोदीलाल होना अंकित है । पैतृक सम्पति में दोनों का बराबर–बराबर हिस्सा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों परिपेक्ष्य में वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता/विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर